दिनांक 13.09.2013 एवं 14.09.2013 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उत्तर एवं दक्षिण बिहार में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों, प्रभारी प्रधान सचिवों के साथ विडियो कान्फ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

1. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विडियो कान्फ्रेन्सिंग में सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया कि कुछ दिनों से जिलाधिकारियों को जिला स्तर पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की मोनिटरिंग की जिम्मेवारी दी गयी है और मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह उनके साथ विडियो कान्फ्रेन्सिंग में उसकी समीक्षा की जाती रही है जिसके अच्छे नतीजे प्राप्त हो रहे हैं। बिजली कम्पनी के लगातार कड़े प्रयास से स्थितियों में काफी सुधार हुआ है तथा बिजली कम्पनी लगातार प्रयासरत है। बिजली की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि अभी भी हमें बिजली के क्षेत्र में बहुत कुछ करना है। अतः निम्न बिन्दुओं पर कड़ाई से अनुपालन की आवश्यकता है :–

2. जले हुए/खराब ट्रान्सफॉरमर शहरी क्षेत्र में 24 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 72 घण्टे के अन्दर बदल दिये जायें।

3. ट्रान्सफॉरमर जलने की स्थिति ज्यादा खराब है। वर्षा के महीने में लाईटनिंग के कारण भी काफी ट्रान्सफॉरमर जले। ट्रान्सफॉरमर नहीं जले इसके लिए ट्रान्सफारॅमर का उचित मेंटेनेन्स किया जाय।

4. ट्रान्सफॉरमर लगाने से लेकर उसके मेंटेनेन्स के लिए आउट–सोर्स किया जा सकता है या किसी कम्पनी को इसकी जिम्मेवारी दी जा सकती है।

5. पूरे राज्य में हमलोग 2000 मेगावाट बिजली विभिन्न क्षेत्रों को दे रहे हैं, उस तुलना में राजस्व की वसूली कम हो रही है। अभी जितनी बिजली खरीद की जाती है, सरकार को बिजली कम्पनी को काफी राशि सब्सिडी के रूप में देनी पड़ती है। जितनी बिजली खरीद की जाती है उसके हिसाब से हमें यथेष्ट राजस्व वसूली करनी होगी।

6. जिला मुख्यालयों में दिसम्बर 2013 तक 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराया जायेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का विश्लेषण करने के बाद पाया गया कि कहीं–कहीं सब–स्टेशन में constraint है, उसे दूर करने की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ताओं तक निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्त्ति की जा सके।

7. सभी माननीय विधायकों/सांसदों से अनुरोध किया गया है कि 10/16/25/40 के०वी०ए० के खराब/जले हुए वितरण ट्रान्सफॉरमर बदलने के लिए MPLADS और CMLADS से पैसा दिया जाय और इसके लिए वे तैयार भी हैं। जब विधायक/ सांसद अपने निधि से पैसा उपलब्ध करा रहे हैं तो निर्धारित समय में जले/खराब ट्रान्सफॉरमर बदल दिये जायें। जिला पदाधिकारी इसकी नियमित तथा साप्ताहिक समीक्षा करें। जिला पदाधिकारी कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करायें।

8. उपभोक्ताओं के यहाँ लगभग 90 प्रतिशत से अधिक मीटर अधिष्ठापन किया जा चुका है, जिन्हें बिलिंग सायकिल में लाना है। शत–प्रतिशत विपत्रीकरण एवं सभी उपभोक्ताओं को समय पर विद्युत विपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किये जायें।

9. छापेमारी दल/लोड चेकिंग के लिए जब पदाधिकारी जाते हैं तो उनके साथ मार–पीट की घटना में जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाय तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराया जाय। पुलिस अधीक्षक के साथ ऐसे मामलों की समीक्षा कर दोषी व्यक्तियों पर त्वरित कार्रवाई की जाय।
10. शहरी क्षेत्र में Own Your Transformer Scheme के तहत होटलों, नर्सिंग होम, बड़े उपभोक्ताओं इत्यादि के यहाँ भुगतान के आधार पर डेडीकेटेड वितरण ट्रान्सफॉरमर अधिष्ठापित किया जाना है।
11. रि–कंडक्टरिंग कार्य में अपेक्षित तेजी नहीं आई है। जिलाधिकारी रिकंडक्टरिंग की प्राथमिकता तय करेंगे तथा प्राथमिकता के अनुसार रिकंडक्टरिंग हुआ या नहीं इसकी जाँच कराकर तेजी लायेंगे।
12. विशेष अभियान चलाकर सितम्बर 2013 तक शत् प्रतिशत मीटर अधिष्ठापित कराया जाना है।
13. दर्ज एफ.आई.आर. में गिरफ्तारी एवं जुर्माना निश्चित रूप से किये जायें। इसके लिए जिला पदाधिकारी स्तर पर प्रत्येक माह सभी थाना प्रभारी व पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा की जाय।
14. अधिक संख्या में शिविर लगाकर अधिक से अधिक संख्या में नये विद्युत् उपभोक्ता बनाया जाना है।
15. निर्देश दिया गया कि सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर में ए०बी०स्वीच, शहरी क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए लगाया जाना है।
16. सरकारी उपभोक्ताओं का अलग लेजर मेन्टेन करने का भी निदेश दिया तथा सभी बकाया का जिला पदाधिकारी भुगतान सुनिश्चित करायें।
17. सभी उपभोक्ताओं का सेल फोन नम्बर रखना है ताकि विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं करने की स्थिति में सेल फोन से सूचित किया जा सके एवं भुगतान नहीं करने की स्थिति में उनका लाईन काटा जाय।
18. सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रो में आठ घण्टे विद्युत आपर्ति सुनिश्चित किया जाय।
19. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु जहाँ विद्युत आपूर्त्ति हेतु पोल, तार, ट्रान्सफॉरमर आदि नहीं है, उसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

विडियो कान्फ्रेंसिंग में जिला पदाधिकारियों को ऊर्जा सचिव एवं प्रबंध निदेशक द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण निर्देशों का संक्षिप्त विवरण :

(A) विद्युत् system के रख–रखाव में तकनीकी निर्देश :

1. जिलाधिकारी अपने स्तर से इसकी समीक्षा करेंगे कि जिले में जितने पावर allocated हैं उतना पावर drawal हो। इसके लिए ब्रेक डाउन का समय पर restoration किये जायें।
2. जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए सभी संभव कार्य किये जायें।
3. जिला मुख्यालय में पावर ट्रान्सफॉरमर से संबंधित contraiants दूर करवाया जाय।
4. सभी ट्रान्सफॉरमर में AB Switch एवं Lightning Arrester लगाया जाय।
5. ट्रान्सफॉरमर के उचित रख–रखाव हेतु तेल टॉप–अप, उसके earthing तथा proper fuse wire लगाना सुनिश्चित किया जाय।
6. ग्रामीण क्षेत्र के फीडर को शहरी क्षेत्र के फीडर से अलग करना सुनिश्चित किया जाय।

(B) राजस्व संग्रहण :

1. राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के लिए पावर कम्पनी द्वारा अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए Performance Incentive Scheme लागू की गयी है।

2. मीटर रीडिंग :

(2.1) 01–07–2013 से मीटर रिडिंग एवं बिल वितरण के लिए नयी दर निर्धारित की गयी है। इसे कड़ाई से लागू करायें।

(2.2) शहरी क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं की शत्–प्रतिशत मीटर रिडिंग हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(2.3) जिलाधिकारी मीटर रिडिंग की रैन्डम जाँच करायें।

(2.4) मीटर रिडिंग की इमेज सी०डी० की जाँच भी करायी जाय।

(2.5) मीटर रिडिंग एजेन्सी फीडरवार भी रखी जा सकती है। इसके लिए सिक्यूरिटी डिपोजिट भी कम कर दिया गया है।

(2.6) मीटर रिडिंग एजेन्सी को दिये जा रहे दर का कम–से–कम 75 प्रतिशत मीटर रीडर को भुगतान किया जाना है।

(2.7) जिलाधिकारी स्तर पर होने वाली मीटर रिडिंग एजेन्सी के साथ बैठक में मीटर रीडर को भी बुलाया जाना है।

(2.8) ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों मे 100 प्रतिशत मीटर रिडिंग इस माह निश्चित रूप से किया जाना है।

(2.9) जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि मिनिमम राशि पर बिलिंग बंद करना सुनिश्चित किया जाय।

(2.10) विपत्र वितरण एजेन्सी द्वारा उपभोक्ताओं को विपत्र प्राप्ति का रसीद प्राप्त किया जाना है।

(2.11) अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर भी मीटर रिडिंग व राजस्व संग्रहण की समीक्षा की जानी है।

3. मीटर अधिष्ठापन :

(3.1) जिला पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि मीटर अधिष्ठापन पूर्ण रुप से करायें।

(3.2) सभी मीटर को billing cycle में लाना सुनिश्चित करें।

(3.3) G.Proforma की भी समीक्षा की जानी है। केवल बिलिंग डाटा में आये मीटर को ही मीटरीकृत (Metered) माना जायेगा।

4. राजस्व संग्रहण :

(4.1) विद्युत आपूर्त्ति की स्थिति में काफी सुधार के बावजूद राजस्व वसूली अभी भी काफी कम है इस पर काफी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि विद्युत आपूर्त्ति को sustain किया जा सके।

(4.2) उपभोक्ताओं को एयरटेल मनी के माध्यम से विद्युत् विपत्र जमा करने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाय।

(4.3) शहर के दूर–दराज में रहने वाले लोगों के लिए मोबाईल वैन के माध्यम से बिल जमा करने हेतु यह सुविधा प्रदान की गई है।

(4.4) प्रत्येक बिलिंग एजेंसी को प्रमण्डल में ही कमरा उपलब्ध कराया जाय ताकि उन लोगों को विपत्र सम्बन्धी कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। किसी प्रकार की समस्या होने पर वित्त नियंत्रक/ उप महाप्रबन्धक (राजस्व) से बात करेंगे।

(4.5) जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जहाँ अभीतक सर्टिफिकेट पदाधिकारी एवं अधिवक्ता की नियुक्ति नहीं हुई है, वहाँ सर्टिफिकेट पदाधिकारी एवं अधिवक्ता नियुक्त कर दें।

(4.6) समाहरणालय से सेवानिवृत कर्मचारी जो सेवानिवृति के पूर्व सर्टिफिकेट केश का निष्पादन करते थे उन्हें कम्पनी का सर्टिफिकेट केश के रिकार्ड का रख–रखाव व अनुश्रवण हेतु नियुक्त करना है।

(4.7) जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि हर जगह कम–से–कम दो रेवेन्यू फ्रैन्चाईजी नियुक्त करवा दें। रेवेन्यू फ्रैन्चाईजी मीटर रीडिंग के लिए जिम्मेदार होंगे और वे डाटा डिवीजन को देंगे और राजस्व संग्रह भी करेंगे। उसके एवज में उन्हें कमीशन मिलेगा।

(4.8) कई फीडर्स/गाँव से विपत्र संग्रहण की राशि की वसूली नगण्य है। इस पर गहन समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

(4.9) प्रत्येक जिले में विपत्र भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या काफी कम है। इसके लिए प्रखण्डवार अभियान चला कर संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता बिल का भुगतान करें।

(4.10) सरकारी बकाये की वसूली के लिए जिला पदाधिकारी अपने स्तर से बैठक कर सभी सरकारी बकायों का भुगतान करवाना सुनिश्चित करें।

(4.11) यह भी देखा जा रहा है कि अधिकतम बिल न्यूनतम खपत के आधार पर बिलिंग की जा रही है जिसके कारण राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है। MMC पर बिल जारी न किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4.12) राजस्व संग्रहण कम होने की स्थिति में जिले में विद्युत् कटौती भी की जा सकती है।

5. <u>सरकारी आवास/कार्यालय में विद्युत् उपयोग</u> :

(5.1) कई सरकारी आवासों एवं कार्यालयों में मीटर अभी तक नहीं लगाये जा सके हैं। इसे इस महीने के अन्त तक लगवाना सुनिश्चित करवायें। मीटर रीडिंग के आधार पर विपत्रीकरण करवायें तथा विपत्र की वसूली सुनिश्चित करवायें।

(5.2) जिला पदाधिकारी इस बात को सुनिश्चित करवायें कि सभी कर्मी कनेक्शन ले लें अन्यथा विद्युत् चोरी करने वाले दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज की जायेगी।

(5.3) जिला पदाधिकारी यह प्रमाण–पत्र सभी पदाधिकारी व कर्मचारी से ले लें कि वे कार्यालय व आवास के विद्युत् बिल का भुगतान कर रहे हैं।

6. <u>नया कनेक्शन अभियान</u> :

(6.1) वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या काफी कम है।

(6.2) नये कनेक्शन का अभियान शहरी क्षेत्र में वार्डवार चलाया जाय।

(6.3) लंबित कनेक्शन आवेदन की समीक्षा की जाय।

(6.4) प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में भी कनेक्शन अभियान चलाया जाय।

7. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबन्धक की बैठक बुला कर उनकी शाखाओं के माध्यम से विद्युत विपत्र जमा करवाना सुनिश्चित करवायें। जो शाखा प्रबंधक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें पुरस्कृत करें।

(C) विद्युत् चोरी के विरुद्ध अभियान :

1. हरेक विद्युत् चोरी के मामले हेतु अलग–अलग एफ० आई० आर० दर्ज हो, इसे सुनिश्चित करायें।
2. शहरी क्षेत्रों में दुकानों/प्रतिष्ठानों की जाँच विशेष रुप से करायी जाय।
3. बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए कनीय विद्युत् अभियन्ता एवं सहायक विद्युत् अभियन्तां को 25–25 तथा विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता द्वारा 15 उपभोक्ताओं का निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करायें।
4. बिजली चोरी के प्रत्येक मामले में फोटोग्राफी किये जाने का निर्णय लिया गया। फोटोग्राफ को प्राथमिकी में साक्ष्य के रुप में संलग्न किया जाना है।
5. जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा इस अभियान को संरक्षण एवं नेतृत्व देना है।

(D) मानव संसाधन सम्बन्धी:

1. पिछले विडियो कन्फ्रेन्सिंग के दौरान कई जिलाधिकारियों द्वारा बताया गया था कि कन्ट्रैक्टर, वायरमैन एवं सुपरवाईजर इत्यादि को लाईसेन्स प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा जिला पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे लाईसेंस प्रदान करने में तेजी लायें।
2. पिछले विडियो कन्फ्रेन्सिंग के दौरान कई जिलाधिकारियों द्वारा जिले में लाईनमैन, एस०बी०ओ०, खलासी इत्यादि की कमी बतायी गयी थी। निर्णय लिया गया है कि आउटसोर्सिंग पर लाईनमैन, एस०बी०ओ०, खलासी इत्यादि एजेंसी के माध्यम से रखा जा सकता है। इसके लिए विद्युत् आपूर्ति अवर प्रमण्डलवार संख्या निर्धारित कर दी गई है।

(E) अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :

1. जिला स्तर पर उप समाहर्त्ता (विद्युत्) को चिन्हित किया जाय ताकि दिन–प्रति–दिन के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की जाय तथा इसका अनुपालन बेहतर ढंग से की जाये।
2. ADB सम्पोषित योजना व RGGVY की समीक्षा जिला पदाधिकारी स्तर पर की जाय।
3. विद्युत् दुर्घटनाओं से बचने के लिए जर्जर तारों को जिला पदाधिकारी द्वारा चिन्हित करवा कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बदलवायें।
4. जमीन से संबंधित लम्बित मामलों का निष्पादन शीघ्र करें।
5. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ROW की समस्या को दूर करायें।
6. सूखे को देखते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे बिजली देना है। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2013 से लागू कर दी गई है। जिला पदाधिकारी इसकी समीक्षा कर सुनिश्चित करायें।
7. दिसम्बर 2013 तक सभी शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में पावर ट्रान्सफॉरमर लगा दिये जायें।
8. MPLADS एवं मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत भी 16/25 के०वी०ए० ट्रान्सफॉरमर की क्षमता विस्तार की योजना की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन तेजी से हो।

9. जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि सांसद/विधायक क्षेत्र विकास मद से ट्रान्सफॉरमर बदलने के सम्बन्ध में प्राप्त अनुशंसा की स्वीकृति के साथ–साथ राशि उपलब्ध करा दें ताकि स्वीकृति प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर काम पूरा किया जा सके। इस काम में बिचौलिये से दूर रहा जाय।
10. एस०एम०एस० मोनिटरिंग सिस्टम लागू की जा चुकी है। इसके माध्यम से कितनी बिजली दी जाती है, इसकी सूचना प्रत्येक घंटे मुख्यालय को प्राप्त करावें।
11 सभी विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता जिले में अधिष्ठापित जले हुए ट्रान्सफॉरमर एवं मीटर अधिष्ठापन सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिदिन उपलब्ध करायेंगे।
12. ए०बी० स्वीच और भी०सी०बी० किसी भी प्रमण्डलीय स्टोर में बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। हर ट्रान्सफॉरमर पर ए०बी०स्वीच निश्चित रुप से लग जाना चाहिए।
13. पी०एस०सी० पोल की कमी होने पर तत्काल मुख्य अभियन्ता (क्रय एवं भंडार) को सूचित करें।
14. यदि ट्रान्सफॉरमर, कंडक्टर आदि रखने की जगह नहीं है तो जिला पदाधिकारी से उसे रखने के लिए जगह के सम्बन्ध में बात की जाय, बाजार समिति या अन्य सुरक्षित स्थल की पहचान जिला पदाधिकारी कर लें एवं वहाँ रखें।
15. VDLS के तहत बहुत कम लोगों ने इसका फायदा उठाया है इसलिए स्थानीय स्तर पर इसका काफी प्रचार–प्रसार कराया जाय।
16. वर्त्तमान में जिस जिलें में टी० आर० डब्लू० नहीं है वहाँ जमीन चिन्हित कर दिसम्बर 2013 तक टी० आर० डब्लू० का निर्माण कराया जाना है।
17. सभी जिला मुख्यालयों में डिविजन कंट्रोल रूम का निर्माण सितम्बर तक कराया जाय।

अंत में धन्यवाद सहित सभी जिला पदाधिकारियों को इस क्षेत्र की गहन समीक्षा कर सुधार लाने का निदेश दिया गया।

10.13

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–प्र02 / विविध–वि0को0–18 / 13 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :–सभी प्रधान सचिव / सचिव / अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–प्र02 / विविध–वि0को0–18 / 13 4878 पटना, दिनांक– 7/10/13

प्रतिलिपि :–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0, पटना / प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन, पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/10/13
सरकार के अवर सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।